

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 81/2018

दायरा दिनांक : 11.04.2018

उनवान

घीसी बाई पुत्री पूनमचंद पत्नी रामचन्द्र जाति माली निवासी
 हाउसिंग बोर्ड बारां

.... अपीलांट

बनाम

- 1- सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाशंकर जाति माली
 - 2- नरेन्द्र पुत्र दुर्गाशंकर जाति माली
 - 3- महावीर पुत्र दुर्गाशंकर जाति माली
 - 4- अनारबाई पत्नी/बेवा दुर्गाशंकर जाति माली
- निवासी हाउसिंग बोर्ड के सामने झालावाड रोड, बारां

.... रेस्पोंडेंट

उपस्थित श्री ओ.पी. मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.12.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 105/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलांट द्वारा अपील निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है :-

रेस्पोंडेंट द्वारा एक वाद ग्राम आमापुरा पटवार द्वोत्र कलमण्डा तहसील बारां के आराजी जमाबंदी नई 18 पुरानी 127 की आराजी खसरा नम्बर 371/663 रकबा 0.02 हैक्टर गैरमुमकिन चाह खसरा नम्बर 331 रकबा 0.33 हैक्टर कुल दो किता रकबा 0.35 हैक्टर आराजीयात में रेस्पोंडेंट अर्थात् वादिनी का आधा हिस्सा तथा कस्तूरी बाई पत्नी चतुर्भज का आधा हिस्सा निहित है। उक्त आराजी पूर्व में रामकन्या पत्नी मांगीलाल जाति माली के खातेदारी में दर्ज थी, जो इंतकाल क्रमांक 390 दिनांक 31-03-2006 से वादिनी व कस्तूरीबाई को समान रूप से प्राप्त हुई। वादिनी द्वारा अपीलांत के विरुद्ध धारा 188 व 183 में अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त विवादित आराजी में दखल अंदाजी न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादिनी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 1 वर्ष 2 माह के बाद पेश किया, जो नियत अवधि में पेश नहीं हुआ। अतः प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 रूल 4 सी.पी.सी. का नियत अवधि में पेश नहीं होने से वाद वादिनी खारिज कर दिया गया है।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांत सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया कि अपीलांत को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलांत को

सुनवायी एवं साक्ष्य एवं प्रार्थिया द्वारा कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हम कोस्ट पर प्रार्थिया को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज प्रार्थना पत्र न्यायहित में उचित नहीं मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाकर प्रार्थिया द्वारा कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलंब हुई अवधि का अप्रार्थी को 200/- कोस्ट का भुगतान किये जाने की शर्त पर विलम्ब का शमन किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2018 यथावत रखा जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलंब हुई अवधि का अप्रार्थी को 200/- कोस्ट का भुगतान किये जाने की शर्त पर विलम्ब का शमन किया जाकर वादिनी के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेते हुए दावे का निस्तारण, साक्ष्य इत्यादि प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर सुनिश्चित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.04.2019 को उपस्थित हों ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा